

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2014/माघ 3, 1935
No. 167]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2014/MAGHA 3, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2014

का.आ. 206(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी				
(1)	(2)	(3)		
"16	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 40 [किमी 0.000 से किमी 61.800 जोरबाट – शिलांग (बारापानी) तक खंड को	मेघालय राज्य		
	छोड़कर], सं. 44, [(किमी 69.200 से किमी 173.200 (जोवई से मेघालय और असम सीमा) तक खंड को	सरकार" ।		
	छोड़कर], सं. 51, सं. 62 और शिलांग बाइपास को छोड़कर [किमी 61.800 (रारा-40) से किमी 34.850			
	(रारा-44) और नई रारा सं. 127बी के उतने भाग जो मेघालय राज्य में अवस्थित हैं ।			

[फा.सं. एनएच-14013/10/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

307 GI/2014

टिप्पण :—मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.-2797 (अ), तारीख 16 सितम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2014

S.O. 206(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"16	So much of National Highways No. 40 [excluding from Km. 0.000 to Km. 61.800 of	State
	Jorabat - Shillong (Barapani) section], No.44 [excluding from km. 69.200 to km. 173.200	Government of
	(Jowai to Meghalaya and Assam Border Section)], No. 51, No. 62 and also excluding	Meghalaya".
	Shillong bypass [from Km. 61.800 (NH-40) to Km. 34.850 (NH-44)] and new NH No.	
	127B as are situated within the State of Meghalaya.	

[F. No. NH-14013/10/2012-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:—The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2797 (E), dated the 16th September, 2013.